

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद/2022/164

दिनांक : 19.12.2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1 लालाराम पुत्र नगाराम वगैरा 3
जाति जाट, निवासी पाबूसरा,
कोलू, तहसील बायतु(बाड़मेर)


1 उमाराम पुत्र मूलाराम वगैरा 36
जाति जाट, निवासी पाबूसरा
कोलू, तहसील बायतु(बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 363/2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - पाबूसरा पटवार मण्डल - कोलू, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 308/8, 321/24, 323/24 रकबा क्रमशः 3.7699, 0.1618, 1.7798 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।


(मनोज)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 19-12-2022

क्रमांक : वाद/2022/1638-1642

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
1. पटवारी हल्का कोलू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मरा रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
2. प्रार्थी श्री लालाराम पुत्र नगाराम वगैरा 3
3. विप्रार्थी उमाराम पुत्र मूलाराम वगैरा 36
4. पुलिस थानाधिकारी बायतु।


उपखण्ड अधिकारी बायतु,